*21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य**

शक्तिकांत दास

मिंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी में आज यहां आना मेरे लिए वाकई खुशी की बात है। मुझे बताया गया है कि यह संगोष्ठी का 13वां संस्करण है, जो एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जिसने वित्त और बैंकिंग उद्योग के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली मेधावियों को आकर्षित किया है। भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सभी हितधारकों को यह आकलन करने के लिए कि हम आज कहां खड़े हैं और कल कहां पहुंचना चाहते हैं, की हमारी तैयारी के लिए, यह संगोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिन तमाम मुद्दों से दो-चार होता रहा है, उसने नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षक होने के नाते, रिज़र्व बैंक देश में एक सुदृढ़ और मजबूत बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए व्यवसाय मॉडल और नई तकनीक के उद्भव और बैंकिंग व वित्त में इसके अनुप्रयोग ने नए अवसर पैदा किए हैं। इन नए घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर गहन दृष्टि डालने के प्रयोजन से, मैंने आज अपनी बात रखने के लिए जो विषय चुना है वह है "21वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य"।

वित्त और बैंकिंग वैश्विक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उभरे हैं। यह तर्क दिया गया है और मेरी राय में, यह तर्क ठीक भी है कि वित्तीय सेवाओं के प्रसार में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[1] चेक, तार अंतरण, एटीएम और क्रेडिट कार्ड इसी प्रकृति के महत्वपूर्ण नवाचार थे। हाल के दिनों पर यदि सरसरी नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि हम तकनीकी क्रांति की पृष्ठभूमि में बैंकिंग में एक और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं, जो बेहतर - ग्राहक अनुभव, जोखिम प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए बेहतर रिटर्न का वादा करता है।[2] इस परिवेश में, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके क्या मायने हैं और हम खुद को आने वाले समय के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वैश्विक बैंकिंग के रुझानों पर चर्चा आरंभ करना चाहूंगा और फिर मैं भारतीय बैंकिंग में हाल के रुझानों, बैंकिंग के नए आयामों और इसके भावी मार्ग पर गौर करना चाहूंगा।

I.वैश्विक बैंकिंग : उभरते विनियामकीय रुझान

वैश्विक वित्तीय संकट बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इसने अन्यथा दुर्जेय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अंतर्निहित खामियों को उजागर किया है। इस संकट ने विनियामक ढांचे में आमूलचूल सुधार, आर्थिक और वित्तीय परिवेश में दीर्घकालिक बदलाव और वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में एक बड़े परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

संकट-पूर्व विनियामक ढांचे की खामियों को दूर करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय संस्थाएं तत्पर थीं। नतीजतन, वैश्विक वित्तीय प्रणाली को और अधिक आघात सहनीय बनाने के उद्देश्य से बासेल-III सुधारों के हिस्से के रूप में लीवरेज, नकदी और पूंजी पर्याप्तता सहित कई विनियामक मानदंडों की समीक्षा की गई। नकदी जोखिम को दूर करने के लिए, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) जैसे नये लिखतों को आरंभ किया गया था, जो बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क द्वारा प्रतिपूरित थे। इसने बड़े व जोखिमपूर्ण एक्सपोजर को सीमित कर दिया है। "टू बिग टू फेल (टीबीटीएफ)" समस्या के निराकरण के उद्देश्य से, एफएसबी ने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए कुल हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी) चरणबद्ध तरीके से आरंभ की ताकि वे अपने पूंजीगत बफ़र्स का पुनर्निर्माण कर सकें। विभिन्न अधिकारिताओं ने भी एफएसबी द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख सुधारों यथा

---

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक - 24 फरवरी, 2020 - मिंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी, 2020 में सम्बोधन।

[1] आरनर, डी. डब्ल्यू, बर्बेरिस, जे, & बकले, आर.पी. (2015)। द इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक: ए न्यू पोस्ट-क्राइसस पराडिज्म। जॉर्जटाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 47, 1271।

[2] गुप्ता, ए.,& ज़िया, सी। (2018)। ए पराडिज्म शिफ्ट इन बैंकिंग : अनफोल्डिंग एशियाज फिनटेक एडवेंचर्स बैंकिंग एंड फाइनेंसियल इश्यू इन इमर्जिंग मार्केट्स (आर्थिक सिद्धांत और अर्थमिति में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, खंड 25)।

वित्तीय संस्थाओं के लिए अच्छा प्रस्ताव, शासन एवं मुआवजे की विधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण को अपनाया है। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) के संबंध में, एफएसबी 2011 से वार्षिक निगरानी अभ्यास कर रहा है। मुख्य तौर पर, यह देखा गया है कि, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता के कई पहलू जिन्होंने वित्तीय संकट बढ़ाने में भूमिका निभाई है, को काफी हद तक रोक दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई पहल को देखते हुए, नीति निर्माता अपने अधिकार-क्षेत्र में विनियामक ढांचे को सशक्त बना रहे हैं। इन नीतियों के अपनाने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को इसके बदले में मध्यावधि एवं दीर्घावधि में सुदृढ़ता और समुत्थानशीलता प्राप्त होगी। 2018 में शुरू हुई वैश्विक विकास मंदी के चलते, हाल ही में, ऋण वृद्धि की गति अवरुद्ध होने से, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप, बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आस्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के बावजूद, यूरो क्षेत्र में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में निरंतर वृद्धि और कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थोक वित्तपोषण जैसी संरचनात्मक दुर्बलताएं बनी हुई हैं। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू किए गए विभिन्न विनियामक सुधारों के चलते प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की पूंजी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है।

II - भारतीय परिदृश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक में, हमने काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी); सेंट्रल काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के लिए पूंजी की आवश्यकताएं; लीवरेज अनुपात ढांचा; चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) ; निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर); प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी) की आवश्यकताएं; और बड़े जोखिमों को परखने और नियंत्रित करने के लिए एक पर्यवेक्षी ढांचे के संदर्भ में बड़े पैमाने पर बासेल मानकों का अनुपालन किया है । केंद्र सरकार द्वारा आईबीसी की धारा 227 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में निराकरण के मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है। हालाँकि भारत में कार्यरत वित्तीय फर्मों में निराकरण के लिए हम निकट भविष्य में एक एकीकृत ढांचे की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में एक आघात सहनीय वित्तीय प्रणाली होने के नाते इस सुधार के कार्यान्वयन का विशेष महत्व है।

हाल ही में हुई प्रगति के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के माध्यम से बढ़े प्रस्तावों के साथ आस्ति की गुणवत्ता में हुई वृद्धि के चलते धीरे-धीरे सुधार की ओर अग्रसर है। खराब आस्ति में हाल ही में आई कमी और प्रावधान में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता नाजुक बनी हुई है। हालाँकि, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के प्रयासों के चलते बैंकों में पूंजी की स्थिति बेहतर हुई है। फिर भी, यह क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के आसपास की घटनाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए है।

नतीजतन, गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का भावी दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है, जो कि ऋण वृद्धि पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा, मुनाफे में नरमी एवं कतिपय कॉरपोरेट्स के डिलिवरेजिंग के मद्देनजर, जोखिमग्रस्त बैंकों ने अपना ध्यान बड़े बुनियादी ढांचे और औद्योगिक ऋणों से हटा कर खुदरा ऋणों की तरफ लगाना शुरू कर दिया है। विविधीकरण की यह कार्यनीति, जोखिमशमन उपकरण के रूप में सहायक तो है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा, दबाव के क्षेत्र में विशिष्ट इलाकों पर नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, क्रेडिट में सम्यक श्रम करने और जोखिम मूल्य निर्धारण का प्राथमिक तौर पर महत्व है, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य से समझौता न किया जाए।

जैसा कि आरबीआई की दिसंबर 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बताया गया है, बैंकिंग स्थिरता संकेतक एक सुधार दिखाता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात को नीचे लाने के लिए तीव्र समाधान, बेहतर वसूली आदि जैसे समयबद्ध शमन उपायों को जारी रखने की जरूरत है। यद्यपि जीएनपीए को मापने के लिए ऋण वृद्धि की निम्न दर, सीमा के आकार को सीमित करती है, तथापि वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों और भू-राजनैतिक विकास से उत्पन्न जोखिम बना हुआ है।

[3] *https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=946*

III - बैंकिंग के नए आयाम

बैंकिंग की उभरती संरचना

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली अभी वैश्विक वित्तीय संकट से उभरे अंतराल को दूर करने की प्रक्रिया में है, जबकि नए मुद्दे सामने आए हैं और मूल पारंपरिक बैंकिंग व्यवसाय को चुनौती दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, बैंक, डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने वाले गैर-पारंपरिक सहभागियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में बैंकिंग संरचनाएं इन नए आवेगों को अपना रही हैं।

कई फिनटेक स्टार्टअप्स ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग का गठन और विस्तार किया है। उन्होंने पीयर-टू-पीयर लेंडिंग, क्राउड-फंडिंग, ट्रेड फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंट एग्रीगेशन और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में भुगतान और प्रेषण स्थल में प्रवेश ले लिया है। फिनटेक सहभागियों के सहयोग से, कई बैंक एक हाइब्रिड मॉडल लागू कर रहे हैं, जहां मोबाइल सेवाएं बैंकिंग सेवाओं के साथ संपर्क साध रही हैं।

बैंकों को न केवल फिनटेक कंपनियों से बल्कि वित्तीय सेवा उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रही बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों (बिगटेक) से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डेटा-नेटवर्क की गतिविधियों की प्रकृति पुनर्नियोजन वाली होने के फायदों के आधार पर, कुछ बिगटेक-भुगतान, धन प्रबंधन, बीमा और उधार गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। वर्तमान में, वित्तीय सेवाएं, विश्व स्तर पर उनके व्यवसाय का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन, उनके आकार और पहुंच को देखते हुए, वित्तीय सेवाओं में उनके प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य में तेजी से रूपांतरण की आशा है। बेशक, यह कई संभावित लाभ ला सकता है। बिग डेटा का उपयोग करते हुए, बिगटेक, उधारकर्ताओं के जोखिम का आकलन कर सकते हैं, जिससे कोलैट्रल की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए, उनके कम लागत वाले संरचना व्यवसाय को आसानी से बैंक सेवा रहित आबादी को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ये घटनाक्रम बैंकों के साथ-साथ बैंकिंग नियामकों के लिए भी एक चुनौती हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंकों को इन नई प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं का अनुकरण करना होगा। दूसरी ओर, बैंकिंग नियामकों को नवाचार को बढ़ावा देने और एक मापित/आनुपातिक पर्यवेक्षी व विनियामकीय ढांचे को लागू करने के बीच संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन सभी का अर्थ है कि बैंकिंग का भविष्य अतीत की एक निरंतरता नहीं होगा। हम आने वाले वर्षों में संरचना और व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में एक बहुत अलग बैंकिंग क्षेत्र देखेंगे।

सवाल यह है कि भारत में एक संभावित परिदृश्य क्या होगा? आने वाले वर्षों में बैंकिंग संस्थाओं के विशिष्ट क्षेत्र उभर सकते हैं। पहले खंड में वे बड़े भारतीय बैंक शामिल हो सकते हैं जिनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो। इस प्रक्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विलय से बढ़ाया जाएगा। दूसरे खंड में कई मध्य आकार की बैंकिंग संस्थाएं , जिनमें अर्थव्यवस्था की व्यापक उपस्थिति वाले प्रमुख बैंक हैं, शामिल हो सकते हैं। तीसरे खंड में निजी क्षेत्र के लघु बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को रखा जा सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण/स्थानीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हों। चौथे खंड में वे डिजिटल सहभागी शामिल हो सकते हैं जो ग्राहकों से सीधे सेवा प्रदाताओं के रूप में या बैंकों के माध्यम से उनके एजेंट या एसोसिएट के रूप में कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से पुन:स्थापित बैंकिंग प्रणाली की खासियत बैंकों की निरंतरता होगी। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत ग्राहक आधार के साथ पारंपरिक खिलाड़ी और नई तकनीक का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे।

उभरते हुए परिदृश्य में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समुचित रूप से तैयार एकीकरण प्रस्ताव से कार्यबल और शाखाओं के आबंटन में तालमेल पैदा हो सकता है और साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ पूंजी को दक्ष और युक्तिसंगत बनाए रखने में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रौद्योगिकी और कौशल निर्माण में निवेश को आगे बढ़ाना होगा। बड़े और फुर्तीले बैंक बेहतर प्रौद्योगिकी, कौशल और व्यावसायिक मॉडल से लैस होने के चलते बेहतर ब्रांडिंग अभ्यास के साथ खुद को पुन: मोर्चा संभालने में सक्षम बना सकते हैं।

[4] बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2019), 'वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट', जून।

अंततः, बैंकिंग प्रणाली की ताकत उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ताकत पर निर्भर करती है जो मजबूत और नैतिकता से प्रेरित अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक,कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निर्देश जारी करता रहा है। उदाहरण के लिए, बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ और भारी जोखिम लेने वालों के लिए मुआवजे के दिशानिर्देशों को भी काफी हद तक संशोधित किया गया है। बैंकों में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले विचलन और धोखाधड़ी, उभरते जोखिमों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बैंकों के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भूमिका और प्रभावी उपयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण कार्य-विधि को मजबूत करना है जो कि बोर्डों की लेखा परीक्षा समितियों को अधिक जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, अगस्त 2019 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में जैसा कि संकेत दिया गया है तथा दिसंबर 2019 में प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रगति और प्रवृत्ति पर रिपोर्ट 2018-19 में दोहराया गया है, आरबीआई बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मसौदा दिशानिर्देश भी जारी करेगा।

डिजिटल व्यवधान

संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा डिजिटल व्यवधान बैंकिंग क्षेत्र का रूपांतरण करना जारी रखेंगे। सरकार, रिज़र्व बैंक और उद्योगों द्वारा शुरू की गई पहल से सर्वव्यापी डिजिटलीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसने प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है। जनसांख्यिकीय लाभांश व जेएएम ट्रिनिटी आदि जैसे कई सकारात्मकताओं का अनूठा संगम, भारत में वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा।

अपने पारंपरिक व्यवसायों में जाने के साथ, बैंक- बीमा, आस्ति प्रबंधन, दलाली व अन्य सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। खुशी की बात है कि बैंकों की मानसिकता बदल रही है और वे फिनटेक फर्मों को हानिकारक नहीं मानते। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने वित्तीय सेवा क्षेत्र को सुरक्षा की भावना दी है। इस बात के साक्ष्य हैं कि फिनटेक कंपनियां बैंकिंग परितंत्र में संबल प्रदाता के रूप में कार्य कर रही हैं। तकनीकी नवाचार को अपनाने के लिए बैंक; फिनटेक कंपनियों में निवेश करने से लेकर अपनी फिनटेक सहायक कंपनियों की स्थापना करने, फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करने तक, कई कार्यनीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। बैंक और गैर-बैंक भारतीय उपभोक्ता को विश्वास और नवाचार के संयोजन की पेशकश करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। इस " दुनिया के दोनों सर्वश्रेष्ठ" दृष्टिकोण ने डिजिटल भुगतानों की संख्या में भारी वृद्धि की है, जो जारी रहने की उम्मीद है। ये कार्यनीति, प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित कर सकती है कि बैंक बाजार में अपना शेयर बनाए रखेंगे, क्योंकि ग्राहक तेजी से अधिक कुशल और किफायती सेवाओं को महत्त्व देते हैं।

इस विकास के आलोक में, पारंपरिक बैंकिंग डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगली पीढ़ी की बैंकिंग के लिए रास्ता बना रही है। पारंपारिक शाखाओं की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है क्योंकि डिजिटलीकरण ने शाब्दिक रूप से कहा जाए तो बैंकिंग को उंगलियों पर ला दिया है। इससे अधिकांश बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं रह गयी है।

डिजिटल भुगतान की दिशा में तेजी से भुगतान प्रणाली, जैसे कि तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की गई है जो लाभार्थियों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करते हैं और चौबीसो घंटे उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल पैठ की सीमा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि, भारत में भुगतान प्रणाली प्रत्येक दिन औसतन लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए से अधिक लेनदेन की प्रक्रिया पूर्ण करती है। आज, डिजिटल भुगतान की संख्या दैनिक भुगतान प्रणाली के कुल लेनदेन का लगभग 97 प्रतिशत है। यह पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की त्वरित वृद्धि के साथ संभव हुआ है।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपनी खुदरा भुगतान प्रणाली यथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) को 24 x7 के आधार पर संचालित करना शुरू कर दिया है। यह एक पासा पलट देने वाला खेल है और भारत को उन बहुत कम देशों में शरीक करता है, जो यह सुविधा प्रदान करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने उद्धृत किया है कि भारत का यूपीआई ढांचा न केवल देशों के अंदर बल्कि देशान्तर में भी त्वरित और सहज भुगतान की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। डिजिटल भुगतान को

आगे बढ़ाने में हमारे अनुभव को समझने और जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को काफी रुचि है और हमें इसे साझा करने और सहयोग करने में बहुत खुशी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई मॉडल को अन्य देशों में ले जाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सहयोगी संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो भारत की भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में सहायता करेगा। खुदरा भुगतान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हमने अपनी वेबसाइट पर खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु एक अखिल भारतीय न्यू अंब्रेला एनटिटी (एनयूई) का एक मसौदा ढांचा भी जन साधारण की टिप्पणियों के लिए रखा है।

विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना

इक्कीसवीं सदी में बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर बढ़ते आयामों के संदर्भ में, हमें बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन विनियामक और पर्यवेक्षी सुधारों के बारे में अवगत रहना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वह अपने पर्यवेक्षी और विनियामकीय कार्यों की प्रभावकारिता में निरंतर सुधार लाए, ताकि विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। हमने समन्वय को बेहतर बनाने और संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण और विनियामक विभागों को पुनर्गठित किया है। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से, यह प्रणालीगत और अज्ञात जोखिमों की पहचान में वृद्धि करेगा जो हमें ऑफ-साइट और ऑन-साइट पर्यवेक्षण टीमों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा।

हम, जोखिमपूर्ण प्रथाओं और संस्थाओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और अपने पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनोंऔर प्रौद्योगिकी की एक उपयुक्त श्रेणी को तैनात करने हेतु आवश्यक रूपात्मकता और मापनीयता लाने के लिए, एक जांचा परखा पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का भी पालन कर रहे हैं। हम अपने ऑन-साइट पर्यवेक्षण के लिए सहायक के रूप में एक कुशाग्र और अधिक दूरदर्शी ऑफ-साइट निगरानी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में एक सुपर-टेक पहल को लागू किया जा रहा है। यह वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्थाओं के सभी लंबित अनुपालनों की पारदर्शी और कुशल निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा, निरीक्षण योजना प्रक्रिया और साइबर घटना रिपोर्टिंग को स्वचालित करेगा और डेटा का सहज संग्रह सुनिश्चित करेगा। बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में विषयगत अध्ययन किए जाएंगे। समय-समय पर पर्यवेक्षण के नए तत्व भी पेश किए जाएंगे। प्रस्तावित अनुसंधान और नीति प्रभाग और जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रणालीगत महत्व और वित्तीय प्रणाली के साथ उनके इंटर-लिंकेज को उचित रूप से पहचान देते हुए, रिज़र्व बैंक ने उनकी आस्ति की गुणवत्ता और नकदी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन ने रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी के संचालन में रचनात्मक हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया है। शीर्ष 50 एनबीएफसी, जिनमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक के आस्ति आकार की सभी एनबीएफसी शामिल हैं, की आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) की स्थिति और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शीर्ष 51-100 एनबीएफसी के एएलएम की भी जांच की जा रही है।

पर्यवेक्षण के चार स्तंभों अर्थात साइट पर निरीक्षण, ऑफ-साइट सर्विलांस, मार्केट इंटेलिजेंस और सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की रिपोर्ट के अलावा, सभी हितधारकों - सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी में बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों के साथ समय-समय पर चर्चा के रूप में पांचवां स्तंभ - सेक्टर में उभरते जोखिमों और विकास की एक स्पष्ट समझ रखने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि जब भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।

जहां तक सहकारी बैंकिंग खंड का संबंध है, हमने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक मजबूत दबाव-परीक्षण ढांचा विकसित किया है। यह समुचित कार्रवाई के लिए कमजोर बैंकों की समय पर पहचान के उद्देश्य से सहकारी बैंकों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। पर्यवेक्षी दृष्टि से यह प्रतिक्रियात्मकता से सकारत्मकता की ओर हुआ बदलाव है जिसका ध्येय निरंतरता आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में कमजोरियों की निगरानी सुनिश्चित करना है। 31 दिसंबर, 2019 तक, इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बैंक अब कोर बैंकिंग

सॉल्यूशन (सीबीएस) में हैं, हालांकि अभी भी समाधानों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है और बेहतर परिणामों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में मजबूत आंतरिक नियंत्रण सेट की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कैमल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण) पर्यवेक्षी रेटिंग पद्धति को भी व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है। हमने सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को लाने के लिए भी कदम उठाए हैं और क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को खत्म करने व भावी वित्तीय समावेशन हेतु प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण के लक्ष्यों को बढ़ाने के प्रयोजन से एक्सपोज़र नॉर्म्स पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन में सुधार के लिए, हमने 100 करोड़ रुपये या इससे बड़े के जमा आकार वाले यूसीबी के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अन्य छोटे यूसीबी द्वारा इसे अपनाना स्वैच्छिक रखा गया है। सहकारी बैंकों के संबंध में आरबीआई को, बैंकिंग कंपनियों के विषय में प्राप्त शक्तियों के समान ही, उपयुक्त विनियामक शक्तियां देने हेतु, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

IV भावी दिशा

एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी शासन की पृष्ठभूमि में बैंकों की बढ़ी सघनता और तकनीक-युक्त पर्यवेक्षण के साथ बैंकिंग उद्योग का बदलता परिदृश्य सामने आएगा। बैंकों के सामने चुनौती अपनी आधार रेखा की रक्षा करते हुए मध्यवर्ती लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का सबसे अच्छा उपयोग करने की है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा वित्तीय सेवाओं के नवाचार का केंद्र बनते जा रहे हैं। बड़े डेटासेट को संसाधित करने से वे धोखाधड़ी का पता लगाने और उधारकर्ताओं द्वारा धन के उपयोग की निगरानी के बेहतर तरीकों की पहचान करने, संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने आदि में मदद कर सकते हैं।

नीति निर्माताओं के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में एक चुनौती बैंकिंग क्षेत्र में नए नवाचार, वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करना और सीमा व उत्पादों तक पहुंच को सुरक्षित तरीके से बढ़ाकर ग्राहक की सेवा करना है। उभरते साइबर सुरक्षा जोखिमों का उन्नत विश्लेषण और उनकी वास्तविक समय आधार पर निगरानी इसके संभावित खतरों का पता लगाने और पूर्व एहतियाती कार्रवाई को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

जैसा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक उच्च कक्षा की ओर अग्रसर है, बैंकों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों को फिर से बनाने, ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करने और उनकी दक्षता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करके बदले हुए आर्थिक परिवेश में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी सेवाओं पर कड़ी मेहनत करनी होगी। संभावनाएं बड़ी हैं। हमें मुद्दों को रोक कर समय रहते कार्रवाई करनी होगी।